न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 68/2020 (2020/00177) दर्ज दिनांक 14.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. नंदराम पिता जीतमल बलाई
2. नानुराम पिता जीतमल बलाई

सर्व निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पिता लेहरू जाट
2. गोपीलाल पिता हजारी जाट
3. भंवरलाल पिता कालुराम जाट
4. मोहनलाल पिता कालुराम जाट
5. रतनलाल पिता कालुराम जाट
6. डालु पिता धुकल जाट
7. प्यारा पिता धुकल जाट
8. मोजीराम पिता मंगना जाट
9. रामेश्वर पिता नानुराम जाट
10. जगदीश पिता जीतु बलाई
11. सायरी बेवा जीतु बलाई

सर्व निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री गणपत राणवा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–11.08.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2950 रकबा 0.70 हे0 किस्म पेटा तला II, आराजी संख्या 2951 रकवा 0.99 हे0 किस्म बारानी III, आराजी संख्या 2952 रकबा 0.02 हे0 किस्म गे0मु0 आचा कुल किता 03 कुल रकवा 1.71 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 241 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वि[illegible] को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलो[illegible] कर गहन मनन कि[illegible]र्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:41:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 68 / 2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2950 रकबा 0.70 हे0 किस्म पेटा तला II, आराजी संख्या 2951 रकबा 0.99 हे0 किस्म बारानी III, आराजी संख्या 2952 रकबा 0.02 हे0 किस्म गे0मु0 आचा कुल किता 03 कुल रकबा 1.71 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 241 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 650/— (छः सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 650/— (छः सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:41:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner